छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **पंचदश सत्र**

मंगलवार, दिनांक 03 जनवरी, 2023

(पौष 13, शक सम्वत् 1944)

[अंक 04]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 03 जनवरी, 2023

(पौष 13, शक सम्वत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष महोदय, आज आपका कुर्ता बढ़िया जोरदार दिख रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- कमरे में आइए, आपको देता हूं।

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- ये भाभी जी की पसंद है।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी। नहीं आए हैं, देख लीजिए।

प्रश्न संख्या 1: XX XX

जिला कोंडागांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राप्त मदवार एवं वर्षवार राशि

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

2. (*क्र. 141) श्री सन्त राम नेताम : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जिला कोंडागांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15 नवम्बर, 2022 तक किस - किस मद में कितनी - कितनी राशि प्राप्त हुई? मदवार, वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्राप्त राशि से जिले में किन -किन कार्यो के लिए या दवा उपकरण क्रय के लिए कितनी राशि खर्च की गई, जानकारी देवें? **(ग)** क्या प्रश्नांक "ख" में व्यय राशि एवं कार्यो के संबंध में शिकायत की गई थी? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र[1] ''अ'' अनुसार। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र ''ब'' अनुसार। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सन्त राम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत दवा की खरीदी हेतु 21.53 लाख रुपए एवं उपकरण के

[1] परिशिष्ट ''एक''

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए 88.59 लाख तथा वर्ष 2022-23 में उपकरण के लिए 48.38 लाख रुपए की खरीदी की गई। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसके पूर्व के सदन के समय में भी प्रश्न लगाया था।

(श्री टी.एस. सिंहदेव द्वारा मास्क लगाए होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप नकाब हटाईए, तब सुनाई देगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- थोड़ा सा ढाके रहने दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- क्यों बोल दिए भाई, अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मोदी जी बोलते हैं कि लगा लो और आप बोलते हैं कि हटा लो।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, विभाग की ओर से सदन में यह जानकारी दी गई थी कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत कार्रवाई की बात की गई थी। माननीय सदस्य ने जिन बिन्दुओं को उठाया था, उसमें जांच के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई हैं। उन अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन सीएमएचओ को सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है और जो डीपीएम थे, उन्हें कारण बताओ नोटिश के साथ 03 महीने की अवधि में बर्खास्त करने का प्रावधान रहता है, तो कारण बताओ नोटिश देकर उन्हें बर्खास्त करने की भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

श्री सन्त राम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट हैं। आपका धन्यवाद।

36वें राष्ट्रीय खेल आयोजन हेतु छत्तीसगढ़ के चयनित खिलाड़ी व अधिकारी

[खेल एवं युवा कल्याण]

3. (*क्र. 81) श्री अजय चन्द्राकर : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 29 सितंबर, 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ ने कौन-कौन से खेलों में भाग लिया? खिलाड़ियों का चयन कब, किनके द्वारा किया गया? खिलाड़ियों को किन-किन खेलों में किनके द्वारा, कितनी अवधि तक, कहां-कहां प्रशिक्षण दिया गया? **(ख)** प्रशिक्षकगण कहां के थे, उनको कितने का भुगतान किस दर पर किया गया? नाम सहित बतावें? **(ग)** उक्त खेल आयोजन में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या रहा तथा कितने खिलाड़ियों, व अधिकारियों का दल गया था और क्या उनको किसी प्रकार का पारिश्रमिक दिया गया था? यदि हां तो खिलाड़ियों व अधिकारियों का अलग-अलग बतावें? **(घ)** क्या राज्य सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने की योजना बना रही है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल): (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न [2] प्रपत्र अनुसार है। (ग) 36 वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का 22 वां स्थान रहा। 136 खिलाड़ी, 40 अधिकारियों का दल गया था। किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया गया। यात्रा किराया एवं यात्रा भत्ता दिया गया। (घ) जी नहीं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यजनक और चिन्ताजनक है। मैं बिना भूमिका के सीधे प्रश्न में आता हूं। छत्तीसगढ़ ने कितने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया? कहां कैंप लगाकर कितने खिलाड़ियों का सलेक्शन किया गया और सलेक्शनकर्ता कौन-कौन लोग थे?

श्री उमेश पटेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक संघ द्वारा अलग-अलग संघों के माध्यम से किया जाता है। उनके चयन की पूरी प्रक्रिया उनके द्वारा की जाती है। आपने दूसरा प्रश्न क्या किया है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने खिलाड़ियों के बीच से कितने खिलाड़ियों का चयन किसके द्वारा कहां किया गया? यानी चयन के लिए कैंप कहां लगाए गए एवं किसके द्वारा किया गया?

श्री उमेश पटेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र में सारी जानकारी दी गई है। आप कहें तो उसे फिर से पढ़ देता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पढ़िए नहीं, मैं बता देता हूं। इसे अध्यक्ष महोदय और पूरे छत्तीसगढ़ को जानना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र को मैं पढ़ रहा हूं- भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा किया गया तो क्या छत्तीसगढ़ की टीम का सलेक्शन भारतीय तीरंदाजी संघ करेगा? योगासन में नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरशन, जूडो में जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, वुशू में वुशू एसोसिएशन ऑफ इंडिया , फैंसिंग में फैंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सायक्लिंग में सायक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। तो क्या इसी प्रकार भारतीय संघ ने यहां की टीमों का सलेक्शन किया? ओलंपिक संघ के तहत और संघ सलेक्शन करते हैं, यह मंत्री जी बोल रहे हैं सारी जानकारी प्रपत्र में है, यह बोल रहे हैं, तो इन भारतीय संघों से कौन सी तारीख को उनके कौन अधिकारी चयन के लिए आए और कितने लोगों के बीच से इन खिलाड़ियों का चयन किया गया? आपने राष्ट्रीय संघों का नाम लिखा है कि ये चयनकर्ता हैं।

श्री उमेश पटेल:- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अलग-अलग संघ हैं, उनके माध्यम से ये चयन होता है और इस चयन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये सारे चयन अलग-अलग संघों के द्वारा किए गए हैं और इसमें कोई प्रश्न तो बनता ही नहीं है।

---

[2] परिशिष्ट "दो"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से पूछ रहा हूं कि चयनित खिलाड़ियों का चयन किसने किया है ? आपने बात को घूमा दिया कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ओलंपिक संघ के अलग-अलग संघों द्वारा चयन करते हैं। आप यह बता दीजिए कि कितने खिलाड़ी एकत्र हुए ? यदि 100 लोग बैडमिंटन के लिए आए होंगे और आपने उस खेल में 5 लोगों की टीम का निर्णय लिया होगा, यह उदाहरण है। उन 5 लोगों का सेलेक्शन किसने और कब किया ? उसके बाद उस टीम के लिए कोचिंग कैम्प कहां लगाए गए ? मैं यह पूछ रहा हूं। आपको नहीं मालूम है तो आप नहीं मालूम है बोल दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी, क्या आपको कुछ विशेष जानकारी है कि कहीं गड़बड़ी हुई है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मैं गड़बड़ी के लिए प्रश्न नहीं लगाया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप यह देखिए, यदि आप पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे तो एक टीम तो अपने खर्चे पर गई है। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, उसके लिए दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि खिलाड़ी अपने खर्चे में गए हैं। यदि आप पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो 32 करोड़ रूपए राजीव गांधी मितान क्लब को दिया गया है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अच्छा, आपकी तकलीफ यह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। खेल की दुर्दशा और इनकी भर्राशाही, यह प्रश्न इसकी अनियमितता पर है। मैं यदि आगे पूछूंगा तो यह और साबित होगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन खेलों की जो दुर्दशा है, आप देखिएगा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी-सी जानकारी दे देता हूं फिर आप यह नहीं कहेंगे ...।

श्री उमेश पटेल :- सर, प्रश्न पूछिए।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, आपका हाथ क्यों कांप रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, वह इसको खोलने के कारण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जो कोच के मापदण्ड है, वह कम से कम ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी या द्रोणाचार्य अवार्डी होते हैं। हमारे कोच क्या थे ? यह उनको 480 रूपए प्रतिदिन दे रहे थे। मैं आगे यह पूछूंगा कि उसको किसने तय किया। खिलाड़ी नैना धाकड़ है या भुनेश्वरी यादव है और आरूषी कश्यप, जो अभी बैडमिंटन जीती है। उन खिलाड़ियों को उनके द्वारा एक रूपए का प्रोत्साहन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- तीनों महिला खिलाड़ी है।

श्री उमेश पटेल :- आपका प्रश्न क्या है, आप वह पूछ लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी ने कारण पूछा है तो मैं उनको बता रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- आप प्रश्न तो पूछ ही नहीं रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो प्रश्न का जवाब दे ही नहीं पा रहे हो।

श्री उमेश पटेल :- मैंने कहा है कि ओलंपिक संघ इसकी जिम्मेदारी ...।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, इनकी तकलीफ केवल यह है कि राजीव गांधी क्लब को पैसा क्यों दिया गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके चयन करने की जिम्मेदारी ओलंपिक संघ की है। अलग-अलग संघों द्वारा उनके चयन की और उनके प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनायी गई है और उनके द्वारा यह चयन किया गया है। जहां तक पैसा देने की बात आ गई। सरकार के द्वारा पैसा सीधा ओलंपिक संघ को दिया जाता है, हमने 3234.75 लाख रूपये ओलंपिक संघ को दिया है और अभी उनकी तरफ से डिमांड आई है कि अभी 13 लाख रूपये और खर्च हुए हैं तो हम उसको भी दे रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो यह पूछा ही नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर ..। मेरे प्रश्न में ..।

श्री उमेश पटेल :- यदि आप भाषण दे रहे हैं तो आप भी भाषण सुनिए ना।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने अभी भाषण नहीं दिया है, मैंने अध्यक्ष जी को जानकारी दी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में भी पैसा दिया गया था।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, फिर हमारे समय में आ गए। हमारे समय में नेशनल स्पोर्ट्स हुआ ही नहीं था।

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, इनके समय में कितने मेडल जीते गए हैं? इनके समय में 10 मेडल जीते गए और हमारे समय में 13 मेडल जीते गए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में छत्तीसगढ़ मणिपुर से ज्यादा बड़ा है लेकिन मणिपुर ने इनसे ज्यादा पदक जीते हैं, दिल्ली ने ज्यादा पदक जीते हैं। यह दो गोल्ड मेडल जीते हैं। मै अब प्रश्न में आता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न में आईये। सीधे-सीधे आ जाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं प्रश्न में आ रहा हूं। आप मुझे फिर से यह बता दीजिए कि कितने खिलाड़ी थे और उनमें से कितनों का चयन किया गया और उन चयन करने वाले लोगों की क्या योग्यताएं थी? उनके प्रशिक्षण के लिए कितने दिन का कैम्प लगाया गया? सीधी-सी बात है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, मंत्री जी का कहना है कि ओलंपिक संघ इसका चुनाव करती है तो कितने खिलाड़ी आए, कितने का चयन हुआ। इनके पास या तो इसकी जानकारी नहीं होगी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह जो भी जानकारी दे रहे हैं तो यह जानकारी इनके पास कहां से आयी? यदि जानकारी आयी है तो पूरी जानकारी आनी चाहिए। सरकार सामने गैलरी में बैठी है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि एक-एक संघ के बारे में पूछेंगे तो मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। यदि यह किसी स्पेसिफिक के लिए पूछ रहे हैं तो मैं जानकारी उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, यह जानकारी उपलब्ध कराने वाला गेम नहीं चलता है। फ्लोर में ही चलता है।

श्री अमरजीत भगत :- अजय भाई, आपका दर्द क्या है बताओ ना?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हर बात में तो विद्‌वान मत बनिए, गड़बड़ हो जाती है, हमारा भतीजा बहुत सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न की जानकारी मंत्री जी के पास नहीं है, चलिए मैं उसे छोड़ देता हूं। अब दूसरा प्रश्न, आपने कोच को कैसे नियुक्त किया ? उसके लिए क्या निर्देश दिया ? उसके लिए क्या तन्ख्वाह निर्धारित की ? कोचिंग कैम्प कहां लगाए गए, उस जगह का नाम बता दीजिए, यदि आप दिन को नहीं बता सकते हैं। प्राईवेट स्थान में भी कोचिंग कैम्प लगे हैं, इतनी दुर्दशा देश में किसी भी राज्य में नहीं हुई है। कोच का निर्धारण किसके द्‌वारा किया गया और उसके लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई ? मैंने बताया है कि अर्जुन पुरूस्कार और द्रोणाचार्य अवार्डी होना चाहिए। कोचिंग कैम्प कहां लगाए गए और कितने दिनों के लिए लगाए गए, यह बता दीजिए ?

श्री अमरजीत भगत :- हमारी सरकार में ज्यादा मैडल जीत रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से ओलम्पिक संघ डिमाण्ड करता है और उसके माध्यम से पैसा जारी होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने पैसे के बारे में नहीं पूछा है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। आप इतना लम्बा बोलते हैं। अगर आप 5 मिनट का प्रश्न पूछते हैं तो 5 मिनट के उत्तर के लिए भी धैर्य रखिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ओलम्पिक संघ से डिमाण्ड आती है उसके आधार पर पैसा जारी किया जाता है। जहां तक चयन की प्रक्रिया है। चयन की प्रक्रिया ओलम्पिक संघ अपने संघों के माध्यम से करता है। अगर माननीय सदस्य को किसी संघ के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है तो हमें उपलब्ध करायें, हम जांच करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं आपको जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर नहीं आया। कोच का सलेक्शन, कोचिंग की अवधि, कोचिंग का स्थान, यदि नहीं है तो उसको भी

छोड़ दें। यदि जानकारी नहीं है यह बोल दें तो मैं आखिरी प्रश्न कर लेता हूँ। आपने तीन प्रश्न करने कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। आप छोड़ दीजिए। आप आखिरी प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा छोड़ दीजिए। आप परिशिष्ट को देख लीजिए। यह बोल रहे हैं कि इन्होंने 35 लाख रूपये दिये हैं। टोटल जो खर्च बताया है। यह बड़ी लज्जाजनक बात है कि आरचरी, योगासन, फेंसिंग के कोच मैनेजर को कोई भुगतान नहीं किया गया। टोटल जो खर्च दिया गया है 32, 35 लाख रूपये दिये हैं जो भी राशि बता रहे हैं। जो परिशिष्ट में जानकारी दी गई है उसमें जो खर्च हुआ है, वह 1 लाख 88 हजार 580 रूपये है। आपने परिशिष्ट में 1 लाख 88 हजार 580 रूपये खर्च दिया है तो बाकी पैसे किस मुद्दे पर खर्च किये गये, यह बता दीजिए? जो आपने ओलम्पिक संघ को दिया है?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैक सूट, खेल परिधान के लिए 2 लाख 79 हजार रूपये, यात्रा अवधि और डी.ए. की राशि 3 लाख 79 हजार, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों, कोच, मैनेजर के लिए यात्रा भत्ता 3 लाख 70 हजार रूपये, प्रशिक्षण शिविर कोच मैनेजर इनकी नियुक्ति के लिए 25 लाख रूपये दिये गये। इस तरह से 35 लाख, 58 हजार रूपये की राशि वितरण की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आखिरी प्रश्न है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय,मैं फिर से कह रहा हूँ कि ओलम्पिक संघ की डिमाण्ड पर यह राशि वितरण की गई है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरा आखिरी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको धन्यवाद् देना चाहूंगा कि कम से कम खेल के बारे में आपने प्रश्न किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्। आपके रिमार्क, आपके compliment के लिए धन्यवाद्। लेकिन मैं एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ। आप तीन खेल के जो कोच, मैनेजर और एक खेल में खिलाड़ियों तक को आने जाने तक के पैसे का भुगतान नहीं किया, इसके कारणों की जांच करवायेंगे क्या? और जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे क्या ? उन खिलाड़ी, कोच मैनेजर को बकाया राशि का भुगतान करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं ही इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। वह भुगतान करेंगे। आपने जानकारी दी है तो क्यों भुगतान नहीं करेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी ओलम्पिक संघ से और डिमाण्ड आई है। हम इसकी भी राशि दे रहे हैं। वह प्रक्रियाधीन है मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। आपको किसी संघ के बारे में किसी तरह की शिकायत है..।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्या शिकायत करूंगा। प्राईवेट स्थान में कोचिंग करवाते हैं, मैं उसकी क्या शिकायत करूंगा?

अध्यक्ष महोदय :- आप छोड़िए न।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, आप एक ही खेल खेलना जानते हैं, यह मैं जानता हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,वह कुछ जिम्मेदार नहीं है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में प्राईवेट स्थान में कोचिंग होती है और खिलाड़ी बिना पैसे के आ गये, चल दिये, कोच बिना पैसे के क्या ट्रेनिंग दिये होंगे? आज वह डिमाण्ड और भुगतान बता रहे हैं। राष्ट्रीय खेल को हुए 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया।

अध्यक्ष महोदय :- अभी आया है तो प्रस्ताव दे देंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस प्रश्न के जरिये यह साबित करना चाह रहे हैं, यह परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं कि सरकार का खेल विभाग के ऊपर ध्यान नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको फिर से सारे उत्तरों को बता रहा हूँ। ओलम्पिक संघ की डिमाण्ड के आधार पर, ओलम्पिक संघ ने चयन किया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओलम्पिक संघ की डिमाण्ड में यह नहीं था।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप पूरा उत्तर सुन लीजिए। आप पूरा उत्तरे सुनेंगे या नहीं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ओलम्पिक संघ की डिमाण्ड में नहीं आया था कि उन कोच को पैसा देना है, खिलाड़ियों को पैसा देना है।

अध्यक्ष महोदय :- उनको कहने दीजिए। आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पूरा उत्तर सुनना ही नहीं है। केवल बात को काटना है। ओलम्पिक संघ के द्वारा इसका चयन किया जाता है। उनके द्वारा डिमाण्ड की जाती है और राशि डिमाण्ड की गई है, हम उसे भी प्रदान करने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने मैडल जीता है, उनकी प्रोत्साहन राशि देने के लिए प्रक्रियाधीन है, वह भी हम बहुत जल्द पूरा करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अगले राष्ट्रीय खेल में दे दीजिएगा।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह देखिए। प्रक्रिया में टाईम लगता है आप भी मंत्री रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता। खेल के आ जाये तब खिलाड़ी को टिकट का पैसा दें। आप समझ रहे हैं साहब। यह [3][XX] है। ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। वह [XX] बने हैं। [XX] बिना चुनाव के बने हैं। इसलिए पूरी प्रक्रिया [XX] हो रही है। [XX] ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग को कुश्ती संघ के बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। कुश्ती संघ के बारे में पूरी जांच की गई है और कुश्ती संघ के ऊपर कार्यवाई की जा रही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- इतना transparent है तो जो मैं प्रश्न पूछा हूं उसका उत्तर दे दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ perception built करना चाह रहे हैं। आपके प्रश्न में कुछ नहीं है। आप सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि..।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोई perception built नहीं करना चाह रहा हूं। आप पूरा परिशिष्ट पढ़ लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपका प्रश्न बृजमोहन जी पूछ रहे हैं। आप बैठ जाईये न। आप कहां खेलते हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं खेलने वाला हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप नहीं खेलते।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सब प्रकार का खेल खेल सकता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इतने खिलाड़ी गये, आखिर इतने कम खर्च में राष्ट्रीय खेल में क्या हमारे इतने खिलाड़ी भाग ले सकते हैं ? अगर ओलंपिक संघ ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओलंपिक संघ की जांच करवाने का आपको अधिकार है ? मेरी जानकारी में है कि बहुत से खिलाड़ियों को आने-जाने का, रूकने का पैसा आज तक नहीं मिला है और वह खिलाड़ी परेशान हैं। कोच का, मैनेजर का पैसा नहीं मिला है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है कि प्रदेश के सैकड़ों खिलाड़ी वहां पर गये और उनकी व्यवस्था नहीं हुई। यह दुर्भाग्यजनक है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है कि इसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ambassador होते और ambassador होने के कारण उनको पर्याप्त सुविधा मिलनी चाहिए। हम लोग इस बात से चिंतित हैं कि ओलंपिक संघ के द्वारा उनकी प्रापर व्यवस्थायें नहीं की

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

गईं, मानीटरिंग नहीं की गई, उनको कोचिंग नहीं दी गई। इसके लिए आपको जांच करवाना चाहिए ओलंपिक संघ ने कहां-कहां खर्च किया।

अध्यक्ष महोदय :- उनने कहा न कि जांच करायेंगे।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर दे देता हूं। टोटल 136 खिलाड़ी गये थे। जहां तक बात आ रही है कि उनके रूकने, रहने की व्यवस्था नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुजरात स्वयं गया था, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। मैंने अपने खिलाड़ियों को जहां पर वह रूके थे, उस जगह को देखकर आया, उनसे मिलकर, बात करके आया। यह कहना ठीक नहीं है कि उनके रूकने की व्यवस्था नहीं हुई। माननीय सदस्यों की चिंता यह है किसी कोच, खिलाड़ी को पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं उसे दिखवा लूंगा। मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि अगर कोई भी ऐसा प्रकरण होगा, उसको जल्द से जल्द निराकरण किया जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- होंगे नहीं, हैं। यह परिशिष्ट में है।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, पूरे समस्या की जड़ यह है कि मुख्यमंत्री जी [XX] [4] ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने हैं। इसलिए पूरे खेल में [XX] हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- यह नहीं आयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बहुत सारे खिलाड़ियों को कहा गया है कि आप अपनी टिकट से जाईये और वापस आने के बाद में आप बिल जमा करेंगे तब आपको पैसा मिलेगा। अभी भी बहुत से खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिला है। वह अपनी टिकट कटवाकर गये हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय सदस्य मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं ऐसा कोई भी प्रकरण होगा, मैं उसे स्वयं दिखवाऊंगा और उसे तुरंत निराकरण करने की कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मंत्री जी, खिलाड़ी की भावना से खिलाड़ियों को ख्याल रखियेगा।

श्री उमेश पटेल :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री सौरभ सिंह जी।

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

<u>जांजगीर चाम्पा जिले के लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर और जिला रोजगार कार्यालय में प्रशिक्षण हेतु प्राप्त राशि</u>

[कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार]

4. (*क्र. 27) श्री सौरभ सिंह : क्या उच्च शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर चाम्पा जिले के लाइवलीहुड कॉलेज,जांजगीर और जिला रोजगार कार्यालय को पिछले 03 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनॉक 05/12/2022 तक किस-किस मद से, कितनी राशि किस-किस प्रकार के प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए प्राप्त हुई हैं ? **(ख)** उपरोक्त राशि से कितनी लागत से कितने लोगो को, किस-किस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया ? प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति एजेंसी को कितनी राशि का भुगतान हुआ हैं ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : **(क)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र**[5] अनुसार है। **(ख)** लागत राशि रू 1836.63 लाख से, संलग्न प्रपत्र अनुसार, कार्यों के लिए 17874 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति एजेंसी को राशि रू 1823.23 लाख का भुगतान हुआ है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष, यह डी.एम.एफ. फंड से जो पैसा जांजगीर-चांपा जिले में लाइवलीहुड कॉलेज को दिया गया है, ट्रेनिंग करने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए 18 करोड़ 36 लाख रुपये दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- जी ?

श्री सौरभ सिंह :- तीन साल में 18 करोड़ 36 लाख रुपये दिया गया है। यह टोटल बंदरबाट का मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को दिया गया है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जानकारी दी गई है कि लाइवलीहुड कॉलेज जांजगीर को डी.एम.एफ. मद से 18 करोड़ 36 लाख रुपये दिया गया है। यह टोटल फर्जीवाड़ा है।

अध्यक्ष महोदय :- कितने कॉलेज को दिया गया है ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक लाइवलीहुड कॉलेज को दिया गया है। लाइवलीहुड कॉलेज में अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग की है। उसमें अगर हम निकालें तो आपके जवाब में लगभग 17,874 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। एक व्यक्ति की ट्रेनिंग के लिए 10,200 रुपये खर्च किये गये हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, अगर आप एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध करा दें, यह

---

[5] परिशिष्ट "तीन"'

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

17,874 लोग जिनको ट्रेनिंग दी गई है, यह ट्रेनिंग वालों की सूची आप बाद में पृथकता से उपलब्ध करा दीजियेगा। यह 17,874 जो लोग हैं, यह हमारे पास पूरी जानकारी है कि इसमें से 300 लोगों को ही ट्रेनिंग दी गई है, अलग-अलग जगह नंबर दिया गया है। वही नाम हर लिस्ट में है। सूचना का अधिकार लगाने के बाद वह जानकारी नहीं मिलती। विधानसभा के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह 17,874 लोगों की सूची दिलवा दीजिये कि ये कौन लोग हैं, जिनको 10,200 रूपये खर्चा करके ट्रेनिंग दी गई है?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं सूची उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जी। वह सूची उपलब्ध करा देंगे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- एक सदस्य को पैसा देने में दिक्कत है, दूसरा सदस्य को नहीं देने में दिक्कत है।

अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न हो जाने दीजिये।

श्री सौरभ सिंह :- अमरजीत जी, उसमें दिक्कत नहीं है। उसमें जो कलेक्टर को मिला है, उसमें दिक्कत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके कलेक्टर कैसे है, यह ई.डी. ने बता दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग कलेक्टर के पीछे क्यों पड़ते हो?

श्री सौरभ सिंह :- आप लोग पटवारी लोग के पीछे पड़ते हो। आप लोगों को पीछे पड़ना है तो कलेक्टर लोग के पीछे पड़ों।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ जी, चलिये। आप बढ़िया चल रहे थे।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी पालन, जूट बैग निर्माण, मशरूम पालन और अगरबत्ती निर्माण, इसके लिए लगभग करोड़ों रूपये दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन सब लोगों के लिए 10,200 रूपये में ट्रेनिंग दी गई है। क्या उन्होंने कोई उत्पादन किया है या नहीं किया है? यदि उत्पादन किया है तो उनका उत्पादन किस बाजार में बिका? उस उत्पादन को किसने खरीदा?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न के वृहदता को समझ रहे हैं। एक-एक व्यक्ति ने क्या उत्पादन किया, उसने कहां बेचा और उसको क्या मूल्य मिला, क्या यह जानकारी यहां पर देना संभव है?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बाद में जानकारी दे दीजियेगा।

श्री उमेश पटेल :- आप इसके लिए जो भी प्रश्न पूछेंगे, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक छोटी-सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, इस प्रश्न के परिशिष्ट में आपने जवाब दिया है कि ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य जो 2 करोड़ रूपये

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

का है। कृपापूर्वक सभी सदस्यों को बता दीजिये कि यह ग्राम सभा प्रशिक्षण क्षमता विकास कार्य क्या होता है?

अध्यक्ष महोदय :- यह राशि किस कॉलेज को दी गई है, यह तो बताईये?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डी.एम.एफ. की राशि को निकाल कर लाइवलीहुड कॉलेज को रोजगार सृजन एवं रोजगार निर्माण के लिए एजेंसी बनाया और यह पूरे परिशिष्ट में उल्लेखित है कि उसमें प्रतिवर्ष कितने-कितने, कहां-कहां पर राशि दी गई है। ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य के लिए 1 करोड़ रूपये, फिर ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य के लिए 1 करोड़ रूपये, अगरबत्ती बनाने प्रशिक्षण कार्य हेतु 174 करोड़ रूपये, मधुमक्खी पालन के लिए 52 लाख रूपये, जूट बैग निर्माण क्राप्ट संबंधी प्रशिक्षण कार्य हेतु 60 लाख रूपये, मशरूम कल्टीवेशन प्रशिक्षण कार्य हेतु 149 लाख रूपये राशि दी गई है। इस तरह से इस पैसे का टोटल बंदरबांट और बंटवारा हुआ है। मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि किसको प्रशिक्षण दिये गये हैं? वही 300 लोगों का बार-बार नाम हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह बता रहे हैं न कि आपको बाद में उसकी सूची दे देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- जी। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि ग्राम सभा क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य क्या चीज है? मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण तो समझ में आ गया, लेकिन ग्राम सभा विकास हेतु प्रशिक्षण कार्य क्या है, इतना ही बता दीजिये?

श्री उमेश पटेल :- अध्यक्ष महोदय, कई ग्राम सभा में Financial transaction करना पड़ता है और ग्राम सभा में किस तरह के कार्य किए जाए, इसकी जानकारी देने के लिए, इसके प्रशिक्षण के लिए योजना जारी की गई है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सौरभ भैया, पैसे का सदुपयोग हो गया है। आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही बंदरबांट है। आपने 35 करोड़ रूपये दे दिया। 17 करोड़ वर्ष 2019-2020 में और 18 करोड़ 2021-22 में। असल में collectors इस पैसे का दुरूपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी घर की दुकान बना ली है और इस प्रकार से वह फर्जी प्रशिक्षण दिखाकर इस पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं। आपको इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूं कि यह जो 33 करोड़ रूपये खर्च किए गए हैं, क्या आप इसकी जांच करवायेंगे?

अध्यक्ष महोदय :- मैं भी वही प्रश्न उनको बाद में करूंगा।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आपके मामा जी बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेनिंग हुई है, उसमें क्या नियोजन की भी शर्तें थी कि ट्रेंड आदमी को भी किसी संस्था में नियोजित किया जाएगा? यदि नियोजन की शर्तें थी तो ट्रेंड

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लोगों में से 17 हजार लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई है, उनमें से कितने लोगों को किन्हीं संस्थाओं में नियोजित करके रोजगार दिलवाया गया है?

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने नियोजन की बात तो कह चुके हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, उसमें शर्त में रहता है कि उनको इतने दिनों का रोजगार देना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ गया।

श्री अजय चंद्राकर :- तो यदि जानकारी है कि इतने दिनों का उनको रोजगार या नियोजन दिया गया है या दिलवाया गया है तो यह बता दीजिये?

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो दो योजनाएं चल रही हैं उसकी गाईडलाईन में नियोजन का प्रावधान है लेकिन डी.एम.एफ. से जो राशि वितरित की गई है उसमें नियोजन की कोई शर्त नहीं है लेकिन...।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल खाने का प्रावधान है, नियोजन का प्रावधान नहीं है ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के पास फेक्ट नहीं है । वह इस विधानसभा के माध्यम से केवल अपनी एक अवधारणा व्यक्त करना चाहते हैं । मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि यदि आपको किसी ट्रेनिंग में कोई शिकायत प्राप्त हुई है तो आप हमें बतायें, हम उसमें जांच कर लेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रशिक्षण में एक गाईडलाईन बनती है चाहे आप राज्य का लें अथवा प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन का लें। डी.एम.एफ. में कोई अलग गाईडलाईन नहीं हो सकती और यदि गाईडलाईन जारी नहीं की गयी है और केवल पैसे दिये हैं तो यह और गंभीर अपराध है । उनको जांच की घोषणा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, नेता जी ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो स्वतंत्र हैं फिर तो यह कुछ भी कर रहे हैं ऐसा हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, नेता जी । यह आपका जिला है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में डी.एम.एफ. की राशि का सुनियोजित ढंग से दुरूपयोग किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- बात तो जांजगीर की हो रही है न ।

श्री नारायण चंदेल :- जी, जांजगीर । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपके और हमारे जिले का विषय है । जो पिछले जांजगीर कलेक्टर का स्थानांतरण हुआ । आपको मालूम है कि दिनांक 29 और 30 जून को उन्होंने 30 करोड़ रूपए बुक कर दिया । दो दिन में डी.एम.एफ. में 30 करोड़ रूपए । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि यह 18 करोड़ रूपए का मामला है । प्रश्न क्रमांक-4

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह जी के प्रश्न में आज के परिशिष्ट में यह जानकारी दी गयी है कि मधुमक्खी ट्रेनिंग के लिये 52 लाख रूपये दिए गए हैं । क्या इसमें शिकायत हुई थी? अगर शिकायत हुई थी तो कब हुई थी ? और आप यह बता दें कि उपरोक्त शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गयी है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ने बोला है कि वे जांच करके बतायेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- वे जांच की घोषणा नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- परीक्षण करा लेंगे न किसको-किसको ?

श्री अजय चंद्राकर :- परीक्षण नहीं आप जांच करवाईये । यह आपका जिला है।

अध्यक्ष महोदय :- जांच कर देंगे उसमें क्या है ? मंत्री जी बिल्कुल सतर्क हैं ।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मधुमक्खी पालन के लिये जो प्रशिक्षण किया गया है उसके लिये विभाग को किसी तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । विभाग को वर्ष 2022-23 की डी.एम.एफ. मद से दो संस्थाओं को जो राशि प्रदान की गई थी, उनके द्वारा समय पर ट्रेनिंग चालू नहीं की गई तो उस राशि को वापस रिकवरी करने के लिये प्रक्रियाधीन है उसमें से बहुत सारी राशि प्राप्त हो चुकी है और बहुत जल्दी उनसे पूरी राशि रिकवरी कर ली जायेगी । हमें केवल दो शिकायतें प्राप्त हुईं थीं और दोनों शिकायतों पर जांच करके उनकी रिकवरी की कार्यवाही चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय :- चूंकि यह माननीय नेता प्रतिपक्ष का जिला है और वे बार-बार मेरी ओर उंगली करते हैं, दिखाते हैं । (हंसी)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मधुमक्खी के पीछे क्यों पड़े हैं ?

श्री नारायण चंदेल :- मैं तो आपको ईशारा कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं मधुमक्खी नहीं इसलिए मैं आपको निर्देशित कर रहा हूं कि इतने पैसे कितने लाईवलीहुड कॉलेज को किस-किस मद के लिये दिये ? और जो नियोजन का है उसमें कुछ कर पाये कि नहीं, एकाध बॉटल शहद का बना कि नहीं यह दिखवा लें ? (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह था कि जो डी.एम.एफ. के ऐसे मामले आते हैं । पूरे प्रदेश में इस प्रकार से अनियमितता का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने दे दिया न, कम से कम आपके जांजगीर का है ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है और निवेदन है कि उसमें जांजगीर-चांपा जिला तो शीर्ष पर है ।

अध्यक्ष महोदय :- शीर्ष पर है इसीलिये तो कहा था ।

श्री नारायण चंदेल :- तो सदन की जांच कमेटी से जांच करवा दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अरे, नहीं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी बनवा दीजिये ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय और आप भी दोनों वहीं के हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- जांजगीर जिला इसलिए शीर्ष पर है कि आसंदी में आप विराजमान हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- शीर्ष पर बैठे हैं, उधर भी हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हांलाकि नेता प्रतिपक्ष की वह कुर्सी 3 साल बाद मिली है लेकिन उनको मिल गयी है तो विराजमान तो शीर्ष पर रहना ही है भैया ।

श्री अजय चंद्राकर :- संरक्षण मुख्यमंत्री जी का है ।

अध्यक्ष महोदय :- ममता चंद्राकर ।

श्री नारायण चंदेल :- चौबे जी, इधर कोई ढ़ाई-ढ़ाई साल का मामला नहीं है । यहां कोई ढ़ाई-ढ़ाई साल का मामला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- ममता चंद्राकर कहां हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न में चूंकि 35 करोड़ रूपये केवल एक जिले में तो पूरे प्रदेश में कितना पैसा यानी यदि हम 30 जिलों का मामला देख लें तो 1 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का भ्रष्टाचार निकलेगा और इसलिए यह गंभीर मामला है कि डी.एम.एफ. के पैसे का इस प्रकार से दुरूपयोग हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि प्रशिक्षण में कितना पैसा खर्च होता है?

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो मैंने उन्हें निर्देशित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये केवल फर्जीवाड़ा होता है। कलेक्टर्स प्रशिक्षण के नाम पर उस पैसे को आपके विभाग पर डाल देते हैं। देखिए, माननीय मंत्रिगण बैठे हैं। माननीय सदस्यगण बैठे हैं। [XX][6], पर यह प्रशिक्षण में नहीं है। ये मेरी जानकारी में है। प्रशिक्षण में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रशिक्षण में, 1 जिले में 35 करोड़ तो 30 जिलों में कितना होगा?

श्री उमेश पटेल :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो आरोप लगाया है..।

अध्यक्ष महोदय :- मैं इसे विलोपित करता हूं। आप परेशान मत होइए।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आप मधुमक्खी को मत छेड़िए। आप मधुमक्खी को बिल्कुल मत छेडिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर मामला है। इस सदन में हम लोग भी बहुत बार कलेक्टरों को फोन करते हैं। बात करते हैं। उनके द्वारा कहा जाता है कि डी.एम.एफ. के

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मामले में हमारा नियंत्रण नहीं है। ये ऊपर से निर्देश होते हैं और 50 प्रतिशत तक कमीशन डी.एम.एफ. में लिया जा रहा है। 50 प्रतिशत तक।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की समिति से जांच करवाइए। यह बड़ा मामला है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह बड़ा मामला है और पूरा भ्रष्टाचार का आरोप है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये अपनी सरकार के आरोपों को बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह डी.एम.एफ. का पैसा है। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- सभी जिलों में भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इस पर जांच की घोषणा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह डी.एम.एफ. मद का पैसा है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये अपनी सरकार के आरोपों को बता रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- यह पूरे जिलों का मामला है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये अपनी सरकार के आरोपों को बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यह सभी जिलों का मामला है। कलेक्टर बंदरबांट कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये अपनी सरकार के आरोपों को बताइए न। माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- पूरे प्रदेश के प्रशिक्षण का मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर 1 हजार करोड़ रूपये..। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- ये अपनी सरकार के आरोपों को बता रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग प्लीज बैठिए।

श्री बघेल लखेश्वर :- इस तरह से मंत्री पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये अपनी सरकार के आरोपों को बता रहे हैं और अपनी सरकार के कमीशन को बता रहे हैं। (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी बात करेंगे। सरकार पर आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, तब तो हम लोग भी बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- पिछली सरकार में स्वीमिंग पुल बनता था, अभी तो मधुमक्खी पालन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री बघेल लखेश्वर :- पिछले लेन-देन का बता रहे हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं।

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस विभाग को टेक-ओव्हर किया तो हमने सबसे पहले जांच किया। जो पहले प्रशिक्षण चल रहे थे। हमने वहां जाकर जांच करने के लिए रेण्डमली 5 जगहों को सिलेक्ट किया कि कहां प्रशिक्षण चल रहा है और वहां किस तरह के..।

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच करवा दीजिए।

श्री उमेश पटेल :- एक सेकण्ड रूक जाइए। पूरी बात सुन लीजिए। वहां क्या प्रशिक्षण चल रहा है? वहां किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी सुनकर हैरानी होगी कि वहां प्रशिक्षण तो छोडिए, कमरा तक नहीं था। (शेम-शेम की आवाज) अध्यक्ष महोदय, कमरा तक नहीं था और मेरा आरोप है कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री कौशल विकास..।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आरोप मत लगाइए। आप उसकी भी जांच कराइए। आप जांच की घोषणा करिए। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जांच की घोषणा करिए। आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप सरकार हो। आप जांच करवाइए। इसकी भी जांच करवाइए और उसकी भी जांच करवाइए। दोनों की जांच करवाइए न।

श्री सौरभ सिंह :- आप जांच करवाइए न। दोनों की जांच करवाइए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप आरोप क्यों लगा रहे हैं। आपके पास कार्यवाही का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आप लोग कितना भी हल्ला मचाए। वे बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना..। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं। आप जवाब नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच की घोषणा करवाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब दे दीजिएगा। प्लीज।

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच करवाएं। आपके पास जांच का अधिकार है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- मंत्री जी, जांच करवाइए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठ जाइए न।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- आदरणीय आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गलत आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। पाण्डे जी, बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- दोनों की जांच करवाइए न।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी स्वयं जांच कराने के लिए तैयार हैं। मैं उन्हें निर्देशित करता हूं कि पिछले 5 साल के, आपके 4 साल की जांच कराएं। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमती ममता चन्द्राकर।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

अध्यक्ष महोदय :- हो गई न जांच के लिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल के लिए बोलिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपने जांच के निर्देश दिये उसके लिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूं । माननीय मंत्री जी, इसमें दो प्रकार के प्रश्न हैं । एक, प्रशिक्षण और दूसरा डी.एम.एफ. की राशि से प्रशिक्षण का । जो डी.एम.एफ. की राशि से प्रशिक्षण है वह आपके विभाग का नहीं है । परंतु कलेक्टर्स उस पैसे का बंदरबांट करके आपके विभाग पर डाल देते हैं कि हमने वहां से प्रशिक्षण करवाया है । दो प्रकार के मामले हैं, डी.एम.एफ. की राशि का बंदरबांट करने के लिए प्रशिक्षण दिखाया गया है । उसको आप विशेष रूप से देख लें, क्योंकि वह बड़ी रकम है । वह बहुत बड़ी राशि है ।

अध्यक्ष महोदय :- जी । चलिए...ममता जी ।

<u>जिला कबीरधाम में संचालित सूक्ष्म, लघु एवं वृहद् उद्योग को प्रदत्त अनुमति</u>

[वाणिज्य एवं उद्योग]

5. (*क्र. 226) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला कबीरधाम में वर्तमान में कितने सूक्ष्म, लघु एवं वृहद् उद्योग संचालित हैं? इनमें से कितने उद्योग को अनुमति प्रदान की गयी है और कितने उद्योग बिना अनुमति के संचालित हैं? इन उद्योगों के संचालन के लिए कहाँ-कहाँ कितनी भूमि अधिग्रहित की गयी है? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत जिन उद्योग संचालकों के द्वारा अनुमति नहीं ली गयी है या निर्धारित

मापदंड का पालन नहीं किया गया है, उन फर्मो के ऊपर क्या कार्यवाही की गयी है, जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : **(क)** जिला कबीरधाम में वर्तमान में 237 सूक्ष्म व 63 लघु कुल 300 उद्योग पंजीकृत है। जिले में स्थापित वृहद उद्योग पंजीकृत नहीं है। उद्योग स्थापना/संचालन हेतु कार्यालय से अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है। जिला कबीरधाम के ग्राम हरिनछपरा, विकासखंड बोड़ला में 20.93 हेक्टयर शासकीय भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरण उपरांत सीएसआईडीसी द्वारा भोरमदेव औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र के लिए पहुंच मार्ग हेतु 3.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि हस्तांतरित व 1.004 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहित की गई है। **(ख)** विभाग द्वारा उद्योगों की स्थापना के संबंध में अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः प्रश्नांश की शेष जानकारी निरंक मान्य की जाये।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री जी से ज़िला कबीरधाम के लिए था, उनका जवाब भी मिला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संतुष्ट हूं कह दीजिए ।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- संतुष्ट भी हूं और प्रश्न भी है । प्रश्न यह है कि जब वहां 300 पंजीकृत उद्योग संचालित हैं तो इसकी अनुमति का प्रावधान क्यों नहीं है?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा उसकी अनुमति उद्योग विभाग नहीं देता है ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा ।

श्री कवासी लखमा :- अनेक विभाग जैसे पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, वे अनुमति देते हैं । उद्योग विभाग में अनुमति देने का प्रावधान नहीं है ।

श्रीमती ममता चंद्राकर :- जैसे कि किसान उद्योग चलाता है तो वह प्रदूषण भी कटवाता है, बिजली की भरपाई भी करता है और वे अपनी रोजी के लिए छोटे-छोटे लघु उद्योग संचालित करते हैं । आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसका भी एक प्रावधान होना चाहिए ताकि लोग मनमानी न करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आगे प्रावधान करेंगे ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन उद्योगों को शासन से सुविधाओं की ज़रूरत होती है उनका पंजीयन किया जाता है और जिन लोगों को शासन से कोई सुविधा नहीं चाहिए, उनको पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, मंत्री जी ग़लत जवाब दे रहे हैं । आपका सीएसआईडीसी है । सीएसआईडीसी में लघु, अति लघु उद्योगों का भी पंजीयन होता है । इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वे आपसे सुविधाएं लें, परंतु अगर उनको पंजीकरण की व्यवस्था वहां पर कर दें कि कोई किसान छोटी सी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हॉलर मिल भी डालता है तो वह सीएसआईडीसी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है । अगर आप यह व्यवस्था कर देंगे तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको सुविधा मिलेगी । अगर गांव के नवजवानों को हम इस तरफ़ आकर्षित करना चाहते हैं तो वहां पर पंजीयन की व्यवस्था करनी होगी, 5 रूपए में पंजीयन होता है, 25 रूपए में पंजीयन होता है । वह पंजीयन कराने में दिक्कत क्या है ? माननीय सदस्य जो चाह रही हैं, उसके अनुरूप यदि आप उनका पंजीयन करवा देंगे तो लघु एवं कुटीर उद्योग बढ़ेंगे क्योंकि शासन से उनको सुविधा मिलेगी । लोगों को सुविधाओं की कोई जानकारी ही नहीं है ।

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, उद्योग स्थापना एवं संचालन के लिए कार्यालय से अनुमति दिए जाने का प्रावधान नहीं है और न ही बंधनकारी है । दबाव नहीं डाल सकते । यदि कोई स्वयं घोषणा पत्र के आधार पर भी कोई कार्य करना चाहता है तो कर सकता है । लेकिन यदि कोई पंजीयन कराना चाहेगा तो उसके लिए कोई इन्कार नहीं है । उद्योग विभाग पंजीयन करता है लेकिन अनिवार्यता नहीं है ।

<u>स्थास्थ्य विभाग में अनियमित कर्मचारियों का नियमितिकरण</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. (∗क्र. 432) श्री शिवरतन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्तमान में स्थास्थ्य विभाग में दैनिक वेतन भोगी/अनियमित/कलेक्टर दर पर/संविदा में कार्य कर रहे अधिकारी तथा कर्मचारी की किस-किस जिले में कितनी संख्या है ? **(ख)** क्या जन घोषणा पत्र में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित करने की घोषणा थी ? यदि हां तो कितने कर्मचारियों/अधिकारी को नियमित किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : **(क) जानकारी संलग्न[7] प्रपत्र अनुसार। (ख)** जी हां। निरंक।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि मेरा प्रश्न संशोधित हो गया है । क, ख छपा है लेकिन ग हटा दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप ग पर ही प्रश्न पूछेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

---

[7] परिशिष्ट "चार"

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं । जो उत्तर आया है उसी पर प्रश्न पूछूंगा । दूसरी बात यह है कि मैंने अपने प्रश्न में पूरे प्रदेश की जानकारी मांगी थी । मुझे आज संशोधित उत्तर मिला है । उसमें 5 नये ज़िलों को छोड़ दिया गया है । कुल 28 ज़िलों का उत्तर है । आपकी सरकार ने 5 नये ज़िले बनाएं हैं क्या वहां संविदा, अनियमित कर्मचारी नहीं हैं ? यह जानकारी दे देंगे । माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है लगभग 17,211 कर्मचारी अनियमित एवं संविदा में काम कर रहे हैं । मैंने अलग-अलग पूछा था जबकि सारी कर्मचारियों की संख्या संयुक्त रूप से बता दी गई, चलिए, इतना भी ठीक है । मैं आपसे प्रश्न किया था कि जन-घोषणा पत्र में ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा थी ? आपने कहा है, जी हां । मैंने यह भी पूछा कि कितने नियमित किये गये तो आपने लिखा है निरंक । अब सरकार का 4 साल का कार्यकाल बीत गया और कुल मिलाकर आपके पास काम करने के लिए 7-8 महीने का समय है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न पूछिये ना, महाराज ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह बता दीजिए, इन कर्मचारियों को कब तक नियमित कर देंगे या नहीं करेंगे ? यह क्लीयर कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, जी हां और निरंक के बारे में जवाब दे दीजिए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधित प्रपत्र अ में जो जानकारी दी गयी है, वह 17,629 कर्मचारियों की जानकारी है। जो दैनिक वेतनभोगी हैं, अनियमित हैं, कलेक्टर दर पर हैं, संविदा पर हैं और अलग-अलग विभाग जैसे जे.डी.एस. डी.एम.एफ., एन.एच.एम., सी.जी.एम.एस.सी, सी.जी., एस.ई.सी.एस., एस.एन., एस.सी.एफ.डी, दो कॉलम छूट गये थे, उनको जोड़कर संशोधित जानकारी दी गयी है। जो नये जिलों की जानकारी है, वह पुराने जिलों में समाहित है। माननीय सदस्य उस जानकारी को चाह रहे हैं, मैं उस जानकारी को निकालकर उनको उपलब्ध करा दूंगा। वह जानकारी मेरे पास है। जहां तक घोषणा पत्र का सवाल है। इसमें हमने यह प्रावधान रखा था और विभाग की तरफ से भी आप सबकी जानकारी में होगा कि सभी विभागों से यह जानकारी शासन स्तर पर मंगाई जा रही है कि कितने कर्मचारी, किस श्रेणी के किन-किन विभागों में काम कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि विभाग की तरफ से भी जो मांग गयी है कि इनको हम नियमित करना चाहते हैं तो वित्तीय प्रावधान और वित्तीय प्रबंधन होने के बाद में शासन इस पर विचार कर रही है। उस पर निर्णय होगा।

अध्यक्ष महोदय :- उनको पृथक करके जानकारी दे दीजिएगा। धन्यवाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो गया और क्या है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कि जानकारी मंगाई जा रही है। अब यह जानकारी तो आपने मुझे उपलब्ध करा दी है, कितने अनियमित, नियमित, संविदा कर्मचारी हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आपने 17,629 संख्या बताई है। आप बोल रहे हैं कि वित्तीय संसाधन होने के बाद किया जाएगा। आपकी सरकार आखिरी बजट पेश करने वाली है। आप कोई समय सीमा बताएंगे क्या ? क्योंकि पहले बोलते थे तो आपका उत्तर रहता था कि हमको पांच वर्ष में पूरा करना है। आपका ये पांचवां वर्ष पूरा हो गया। आप समय सीमा बता दीजिए कि हम इतने दिन के अंदर इनको नियमित कर देंगे। आप समय सीमा बता दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- यथाशीघ्र हो जाएगा।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, समय सीमा आने वाला बजट और उसके बाद उसमें समाहित नहीं होता है तो प्रयास जारी रहेगा, अनुपूरक बजट, समय सीमा वही है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- यथाशीघ्र।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है। छत्तीसगढ़ के पूरे कर्मचारी पिछले चार सालों से सड़कों पर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का काम प्रभावित हो रहा है और लगातार आंदोलन चल रहे हैं। इस सरकार ने विधानसभा में जन घोषणा पत्र को एडाप्ट किया है। क्या सरकार की बाध्यता नहीं है कि इन अनियमित कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जाए ? इन्होंने राज्यपाल जी के अभिभाषण में उसको सम्मिलित किया है। यह एक गंभीर मामला है कि सरकार पूरे कर्मचारियों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। इस वादाखिलाफी के खिलाफ में क्या सजा मिलनी चाहिए, माननीय मंत्री जी, आप जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष रहे हैं, आपको क्या सजा मिलनी चाहिए, यह आप ही तय करके बताएं या सरकार को क्या सजा मिलनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय :- आप भी गंभीर प्रश्न ही कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बाकी है, चलिए, उत्तर आ जाए।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नि:संदेह यह संवेदनशील मामला है। इसमें कोई दो बात नहीं है, यह काले सफेद में जन घोषणा पत्र में अंकित है। शासन ने भी जन घोषणा पत्र को क्रियान्वित करने का निर्णय लेकर, मंशा बनाकर एक-एक करके उनको पूरा कर रही है। जहां तक हिसाब-किताब और दण्ड इत्यादि का सवाल है। यह पांच साल पूरा होने के करीब हम नागरिकों के पास मत मांगने जाएंगे, वे अपना मत सुना देंगे। हम काम कर लिये होंगे तो उसकी सराहना करेंगे, काम नहीं कर पाये होंगे तो उसका जवाब मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, वह दण्ड आपको स्वीकार है, प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मेरा एक ही प्रश्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। आपका गंभीर प्रश्न रहता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, 17,629 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। यह जन घोषणा पत्र में है। क्योंकि जन घोषणा पत्र 2019 में वह राज्यपाल जी के अभिभाषण में आया है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन चार वर्षों में कितने दैनिक वेतनभोगी, कितने संविदा कर्मियों को पद से निकाला गया, आप मुझे यह जानकारी दे दीजिए ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। अब आप उसी-उसी बात को मत बोलिए। आप तीन लोगों का ही पूरा चल रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, अपना जन घोषणा पत्र भी तो पढ़कर देखिए। प्रधानमंत्री जी ने जन घोषणा पत्र में क्या कहा था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए आप लोग बैठिए, प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया, आप मुझे यह जानकारी दे दीजिए ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बृजमोहन अग्रवाल जी ने उसको कह दिया न। चलिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अपनी जन घोषणा पत्र पढ़िए न। आप अपनी जन घोषणा पत्र पढ़कर बताईए।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए, प्रश्नकाल में यह नहीं चलेगा। प्लीज, आप लोग बैठिए। बृहस्पत जी, प्लीज। आपने गंभीरता को बता दिया, गंभीर बता दिया, वही गंभीर बृजमोहन जी ने बताया, वही गंभीर आप बता रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, कितने लोगों को नौकरी से निकाला गया?

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अनावश्यक बात से बाधित करते हैं। जिन सम्माननीय सदस्यों का प्रश्न लगा है, उसको बाधित करके रोकते हैं। हमें आपका संरक्षण चाहिए। बाकी लोगों का जो प्रश्न लगा है, उसमें उनको मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 17,000 परिवार...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह किस हैसियत से पूछ रहे हैं ? आप किस हैसियत से खड़े होकर पूछ रहे हैं ? यह खाली प्रश्न का समर्थन कर रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अभी इनका प्रश्न चल रहा है, आपको हैसियत नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भाजपा अपना घोषणा पत्र पढ़ कर देखे। अपने घोषणा पत्र पर बात करे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठिये। यह नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह किस हैसियत से पूछ रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- वह तो आपकी बात ही नहीं मानते।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विधानसभा में नहीं पूछा गया था। यह प्रश्न इस कार्यवाही में नहीं पूछा गया था। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। जहां तक मुझे जानकारी है कि कई लोग जो अनियमित रूप से या संविदा में काम रहे थे तो जब पद आये तो कई लोगों का नियमितिकरण किया और वह रेग्यूलर भर्ती हो चुके थे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस कैटेगिरी में पहले से काम कर रहे थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले जवाब सुन लीजिए।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- और कितने लोग रेग्यूलर हो गये हैं या रेग्यूलर भर्ती में ही आ चुके हैं। मैं आपको उनकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दूंगा। शेष कितनों को निकाला गया है, मैं आपको इसकी जानकारी भी उपलब्ध करा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपको सब जवाब दे देंगे।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- मेरी जानकारी में काम करने की कमी के अतिरिक्त कोई गंभीर बात आई हो। अभी एक माननीय सदस्य ने कोण्डागांव जिले के संबंध में सवाल पूछा था तो मैंने घोषणा कि जो काम कर रहे थे, वह भी तो संविदा ही हैं। यदि गलती पायी जाएगी तो उनको सेवा से निकाला जाएगा। ऐसे प्रकरण जिनको किसी कारण से निकाला गया, मैं आपको इसकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपको पूरी गंभीरता से जवाब दिये। चलिये-चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, आप तो मान जाइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छन्नी चंदू साहू जी लंबे समय से इंतजार कर रही हैं उनको मौका दिया जाए। अगले प्रश्नकर्ता को भी मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- हां, छन्नी चंदू साहू जी को मौका दे रहे हैं। चलिये, प्लीज।

श्री बृहस्पत सिंह :- समय नहीं है तो यह बार-बार समय को अनावश्यक बर्बाद क्यों कर रहे हैं ? सदन का समय बर्बाद न किया जाए। बाकी सदस्यों को मौका दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- भाई, चलिये आप पूछिये। आप बैठ जाइये न, आपके कारण लेट हो रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नये विधायकों को भी मौका मिलना चाहिए। यह लोग उत्तर मिलने के बाद भी बार-बार उसी चीज को घुमाकर बोलते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य को भी मौका दिया जाए। महिला सदस्य खड़ी हैं। क्या उनको भी अवसर मिलेगा (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों के कारण विलंब हो रहा है। प्लीज-प्लीज।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग किसको मौका दिया जाए करके आपको निर्देशित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- नहीं-नहीं, शिवरतन जी, आप प्वाइंटेड प्रश्न पूछिये न। बाकी लोग भी तो प्रश्न लगाये हुए हैं। बाकी के प्रश्नों को होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप बाकी लोगों का भी ख्याल रखिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को पूरा 1 घण्टा समय लेने का लेने का अधिकार नहीं है। सदन का पूरा का पूरा 1 घण्टा समय लेने का अधिकार नहीं है।

श्री अरूण वोरा :- शिवरतन जी, आप सदन का समय...। आप प्वाइंटेड बात कीजिए न तो मंत्री जी आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- जितना अधिकार शर्मा जी को है उतरा ही अधिकार हर माननीय सदस्य को है। जितना अधिकार शर्मा जी को है उतना ही हमारी महिला सदस्य को भी है।

अध्यक्ष महोदय :- आप जल्दी पूछिये न। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- हम लोगों का भी प्रश्न लगा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंटेड प्रश्न ही कर रहा हूं कि कोविड काल में हजारों की संख्या में दैनिक वेतन में, संविदा में कर्मचारियों को रखा गया और बाद में उनको निकाल दिया गया और दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि ऐसे कर्मचारी, जिनको निकाला गया है उनको अनुभव प्रमाण प्रत्र भी नहीं दिया गया।

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरा देश पूछ रहा है कि 2 करोड़ लोगों का पेमेण्ट नहीं दिया...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- यह गलत बात है।

श्री अरूण वोरा :- 2 करोड़ लोगों को, आपने कम से कम 18 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं...। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- 15 साल में कुछ नहीं हुआ...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको इजाजत नहीं देता। छन्नी साहू।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप यह बता दीजिए कि पिछले 4 वर्षों में आपने कितने लोंगों को नियमित किया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग 15 सालों में एक भी भर्ती नहीं किये। क्या बात करते हैं ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- क्या हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है ? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- छन्नी चंदू साहू, आप खड़ी हैं प्रश्न पूछिये।

श्री सौरभ सिंह :- आपकी परमिशन से कुछ लोग...। (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी उसमें...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनको प्रश्न पूछने दीजिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग 15 साल में एक चपरासी तक भर्ती नहीं किये। (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी, उसमें प्रश्न "क" से मैं संतुष्ट हूं। प्रश्न "ख" में मंत्री जी जो उत्तर दिये हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय :- बृहस्पत जी, आप बैठ जाइये। प्लीज। छन्नी साहू।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरा इन लोगों के कारण से है।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न आ गया। उधर देखिये। आप उधर से प्रश्न को सुनिये।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया।

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, प्रश्न का उत्तर आ चुका है आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ले-देकर हम लोगों का प्रश्न लगता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलो न, आप पूछो न।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा एक प्रश्न में 15 से 20 मिनट लिया जाता है और नये सदस्यों को अवसर नहीं दिया जाता है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग इनको उत्तर दिये हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- यह लोग बोल सकते हैं कि मैं संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, इनको प्रश्न करने दीजिए। टाइम देख लीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, आप हर प्रश्न में प्रश्न पूछते हैं, बेचारी को एक प्रश्न करने दीजिए। आप मेरी बात सुनिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय :- उनको प्रश्न करने दीजिए, समय देख लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, महिला सदस्य को बोलने नहीं दिया जा रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, आप हर प्रश्न में पूछते हैं, छन्नी साहू जी को एक प्रश्न करने दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बात है । महिला सदस्यों को आप प्रश्न पूछने नहीं दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्ता पक्ष के लोग जान-बूझकर डिस्टर्ब करने के लिए खड़े हो रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिए । महाराज, आप हर एक प्रश्न में प्रश्न करते रहते हैं, मैं आपको अक्सर अवसर देता हूं । एक बार महिला सदस्य का प्रश्न आया है, आखिरी समय है, उनको प्रश्न करने दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । 17 हजार परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है । उसमें मंत्री जी का उत्तर नहीं आया, उनका उत्तर तो आने दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सबका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मंत्री जी ने जवाब दे दिया है । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप महिला सदस्य के प्रश्न में बात करेंगे, बार-बार प्रश्न करेंगे ? महिला सदस्य का प्रश्न है, उनको प्रश्न करने दीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- छन्नी साहू । आप खड़े हो, प्रश्न पूछिए न । आप लोग बैठ जाएं, आप लोग क्यों खड़े हैं ? अरूण जी, आप बैठ जाएं, उनको प्रश्न करने दें । उनका बढ़िया प्रश्न है, उनको प्रश्न पूछने दीजिए । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि 8 साल में 16 करोड़ नौजवानों को आपने काम नहीं दिया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईए, प्लीज़, प्लीज़ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूछने की अनुमति दी थी ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं, बाद में अवसर दूंगा । छन्नी साहू जी के प्रश्न में आप अनुपूरक प्रश्न कर लीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- महिला सदस्य का प्रश्न है, उनको प्रश्न पूछने दीजिए । बार-बार ऊंगली क्यों उठा रहे हैं ?

जिला राजनांदगांव में संचालित देशी/विदेशी शराब दुकानें

[वाणिज्यिक कर (आबकारी)]

7. (*क्र. 362) श्रीमती छन्नी चंदू साहू : क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) राजनांदगांव में कितने देशी/विदेशी शराब की दुकानें संचालित हैं एवं प्रतिदिन कितने प्रुफ लीटर शराब की खपत होती है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से नवम्बबर, 2022 तक अवैध शराब परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए ?कितने प्रकरणों पर कार्यवाही की गई तथा कार्यवाही में कितने राजस्व की प्राप्त हुई ? विकासखण्डवार प्रकरणवार जानकारी देवें?

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2022-23 में 09 देशी मदिरा दुकान, 11 विदेशी मदिरा दुकान, 07 कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान एवं 01 कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान कुल 28 मदिरा दुकानें संचालित है। इन मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार मदिरा की खपत होती है। माह नवम्बर 2022 में 11517.6 प्रूफ लीटर देशी मदिरा, 8460.3 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं 2467.5 बल्क लीटर विदेशी मदिरा माल्ट की औसत प्रतिदिन विक्रय (खपत) हुई है। (ख) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021 से नवम्बर, 2022 तक अवैध शराब परिवहन के दर्ज प्रकरण, की गई कार्यवाही तथा कार्यवाही से प्राप्त राजस्व की विकासखण्डवार प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न लगाया था, उसमें प्रश्न **क** के उत्तर से मैं संतुष्ट हूं, प्रश्न **ख** के उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि रायपुर में पदस्थ आबकारी विभाग का आरक्षक राजनांदगांव जिले में जाकर कार्रवाई कर सकता है क्या ? दूसरा प्रश्न, एक मोटर सायकल में 3 युवक और उसी मोटर सायकल में 10 पेटी शराब इनके अधिकारी ने दिया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न सुन तो लीजिए । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- गुस्सा मत होईए, बाकी सदस्य की भी बात सुनिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- महिला सदस्य प्रश्न पूछ रही हैं, आप बार-बार डिस्टर्ब करने की हिम्मत मत करिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बीच-बीच में खड़े होकर डिस्टर्ब करते हो, वह ठीक है ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- आप मत छेड़िए, महिला सदस्य का प्रश्न है, आने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- उनका प्रश्न तो आने दीजिए, आप ही लोग खड़े हो जाते हो। आपको क्या प्रश्न पूछना है, आप पूछिए न ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि रायपुर में पदस्थ आबकारी विभाग का आरक्षक राजनांदगांव जिले में जाकर कार्रवाई कर सकता है क्या ? दूसरा प्रश्न यह है कि एक मोटर सायकल में 3 युवा और उसी मोटर सायकल में 10 पेटी शराब ले जाना संभव है क्या ?

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राजनांदगांव जिले में रायपुर जिले का कोई कर्मचारी गया है, अगर उड़नदस्ता का कर्मचारी गया है तो ठीक है । अगर अलग से कोई कर्मचारी कार्रवाई करने गया है तो उसको दिखवा लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपने दूसरा प्रश्न नहीं सुना । उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि एक मोटर सायकल में 3 लोग बैठे हैं, उसमें से 2 अवयस्क हैं और उसमें 10 पेटी शराब आ सकती है क्या ?

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, आपने उसको कोड किया है । अगर ऐसा हुआ है तो जांच करके देख लेंगे । अगर ऐसा हुआ होगा तो कार्रवाई करेंगे । (व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कैसे देखेंगे, उसको मंत्री जी स्पष्ट करें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 3-3 महीने जेल में रहते हैं और अगर आपके विभाग के लोग मोटर सायकल में 10 पेटी शराब को पकड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जान-बूझकर किसी को फंसाने के लिए काम कर रहे हैं और यह षड़यंत्र है । एक महिला विधायक आरोप लगा रही है और इसमें मंत्री जी इस प्रकार का जवाब देते हैं । उसमें तीन बच्चे हैं (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बृहस्पत जी, अब खड़े होकर बोलो न । अब क्यों नहीं खड़े होते ? न्याय दिलाने के लिए खड़े क्यों नहीं होते, खाली डिस्टर्ब करने के लिए खड़े होते हो ? (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जांच कराने की बात कही है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- मंत्री जी ने कहा है कि ऐसा नहीं हुआ है । अगर हुआ होगा तो उसकी जांच करा देंगे । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मंत्री जी ने जांच कराने की कही है तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है ? (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय कम है, पांच मिनट का समय बचा है । मैं चाहती हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाये । कृपा करके बाकी सदस्य हल्ला न करें ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, मोटर सायकल में 3 पेटी आ सकता है, 10 पेटी नहीं आएगा । अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, मैं जांच करवाऊंगा ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रही हूं, इनके विभाग का अधिकारी कह रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 युवकों को एक मोटर सायकल में, जिसमें से एक लड़का 8वीं पढ़ने वाला छात्र है और रायपुर में पकड़ा जाता है, उनके पास शराब नहीं था ।

(श्री अजय चन्द्राकर द्वारा श्री मोहन मरकाम के समक्ष जाकर कुछ कहने पर)

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, धमकी नहीं चलेगी । उनका प्रश्न ज्यादा सीरियस है, उसको सुनिए तो ।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र में 3 युवकों को गाड़ी में पकड़कर रायपुर के नंदनवन में लेजाकर कार्रवाई की जाती है। क्या यह संभव है ? ऐसे कर्मचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और 8वीं पढ़ने वाला छात्र है, उसके ऊपर कार्रवाई की गई है, उसको जीरो करनी चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्या ने गंभीर बात कही है। जांच करायेंगे और यदि सही पाया गया तो कार्रवाई होगी।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि यह एक गंभीर विषय है। एक पढ़ने वाले छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। (शेम-शेम की आवाजें) मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिस कर्मचारी ने छात्र के ऊपर कार्रवाई की है, सदन के माध्यम से उसके ऊपर कार्रवाई की घोषणा किया जाये, यह मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, मैं जांच करके कार्रवाई करवाऊंगा। अगर सही पाया गया तो। पहले जांच होने दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है। मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि वह 3 पेटी से ज्यादा नहीं ले जा सकता है। 10 पेटी का केस बनाया गया है, 8वीं के छात्र का भविष्य बर्बाद किया गया, 3-3 महीने जेल में रहते हैं तो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए, दुश्मनी निकालने के लिए ये कार्रवाई हो रही है तो ऐसे में उस अधिकारी को सदन में निलंबित किए जाने की घोषणा की जानी चाहिए। साथ ही उस बच्चे के जीवन की, भविष्य की बर्बादी हुई है, उसके लिए सरकार को मुआवजा देने की घोषणा करनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में यही चल रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

दुश्मनी निकालने के लिए शराब गाड़ी में रख दिया जाता है। यह बहुत गंभीर मामला है, माननीय विधायक जी ने इसको उठाया है। आप इस पर निर्देश दें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जांच का निर्देश दे दिया है। नियम में प्रावधान है। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जांच का निर्देश तो दे दिए हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी ने जांच करके कार्रवाई करने का कह दिया है।

श्री कवासी लखमा :- जांच के बिना थोड़ी न होगा, बिना जांच के थोड़ी घोषणा होगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से निर्देश चला जाये।

अध्यक्ष महोदय :- वह जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सदन के माध्यम से कार्रवाई करने की घोषणा कर दें।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग अधिकतर हंसी-मजाक में टालने की कोशिश कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- जो 8वी कक्षा का छात्र है, उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, उसको जीरो कर दिया जाये ताकि उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये भाई, हां बोल दीजिये।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, एक तो उस क्षेत्र की विधायक महिला है और वह गंभीर बात कर रही हैं। तो मैं इसकी जांच करवाकर, यदि सही पाया गया तो जरूर कार्रवाई करेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, फिर मजाक हो रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई मजाक नहीं हो रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी ने कार्रवाई करने का कहा, मंत्री जी ने कार्रवाई की घोषणा की, यह मजाक की श्रेणी में थोड़ी आता है सर ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधायक जी, जब तुम्हारे बेटे को ले जायेंगे तब पता चलेगा। तुम्हारे बेटे को ले जायेंगे तब समझ में आयेगा।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- वह चाहे किसी का बेटा हो, मंत्री जी न्याय करने की बात तो कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 8वीं के बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और मजाक का विषय नहीं है ?

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- किसी का भी बेटा हो, वह सब का बेटा है। उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह सबका बेटा है। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- निलंबित करने की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से आदेश आ जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधायक जी कह रही है तो फिर सदन का क्या महत्व है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- किस-किस का संरक्षण है, यह बता दीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- फिर सदन का महत्व क्या है ? एक 8वीं के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- या किसी को कितना पैसा दिया गया है, यह बता दें। क्योंकि इस सरकार में बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब आप लोग (सत्ता पक्ष के सदस्यों को) खड़े होकर क्यों नहीं बोलते ?

एक माननीय सदस्य :- आप लोग इतना क्यों उत्तेजित हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 8वीं के बच्चे को झूठा फंसाया जाता है।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आदरणीय मंत्री जी तो कह रहे हैं कि जांच करायेंगे। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से निर्देश आ जाये। पूरे प्रदेश में ऐसा ही चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- कितना पैसा खाया गया है ? उस 8वीं के बच्चे को झूठा फंसाने के लिए कितना पैसा खाया गया है ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके बेटे को झूठा फंसाया जायेगा तब आपका क्या होगा ? अगर तुम्हारे बेटे को फंसायेंगे तो क्या होगा, कैसे लगेगा ?

श्री नारायण चंदेल :- उस बच्चे को झूठा फंसाया गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- कितना पैसा खाया गया है ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गंभीर मामला है। आपको निर्देश देना चाहिए कि एक 8वीं छात्र के बच्चे को...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश बघेल जी ।

समय :

12:00 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2021-2022 के वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 तथा विनियोग लेखे छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- यह तो हो जाने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरा इसी पर है । मेरा इसी पर व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखकर दिया है कि यह प्रस्तुत करेंगे । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप नियम प्रक्रिया देख लीजिए । जब तक कोई लिखित में कोई सूचना नहीं दे या कोई महत्वपूर्ण कारण से अनुपस्थित हो तो फिर कोई दूसरा सदस्य उसे पढ़ सकता है । क्या मुख्यमंत्री जी ने आपको सूचना दी है कि उनकी जगह पर संसदीय कार्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे । अगर सूचना नहीं है तो आप इसे अगले दिन के लिये ले लीजिए । व्यवस्था लगातार तोड़ी जा रही है, मैं आपसे इसी पर व्यवस्था का प्रश्न चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो पढ़ लिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कि हमारे नियमों के अनुसार ...।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लेता हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको पढ़ने नहीं देना चाहिये । हमारे नियमों के अनुसार अगर उनकी कोई सूचना नहीं है तो यह नहीं पढ़ सकते । आपके पास में सूचना होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय, वह संसदीय कार्यमंत्री हैं, कोई आता नहीं है..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं भी संसदीय कार्यमंत्री रहा हूँ....।

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, तो बताईये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर कोई आपत्ति ले रहा है तो उसको आपको संज्ञान में लेना चाहिये, बिना सूचना के यह नहीं होना चाहिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपने आपत्ति की, मैंने संज्ञान में ले लिया । सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर मेरे पहले प्रश्न में यह खड़े हो जाते तो आप बोलते आपको अधिकृत नहीं किया गया है । उनको अधिकृत किया गया है क्या ? बिना अधिकृत के वह क्यों खड़े हो सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप उसका गुस्सा उतार रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप नियम बता दें कि बिना अधिकृत किये...।

अध्यक्ष महोदय :- आप पहले प्रश्न में नहीं आये, उसका गुस्सा उतार रहे हैं । आप पहले प्रश्न में नहीं आये, दूसरे लोग आ गये, आप उसका गुस्सा उतार रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं नियम की बात कर रहा हूँ, वह नहीं पूछ सकते । उसमें कैसे खड़े हो सकते हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है...।

अध्यक्ष महोदय :-इसको हो जाने दीजिए, दो मिनट का काम है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, जब बृजमोहन जी मंत्री थे, बार-बार इसी सदन में कहते थे कि संयुक्त जवाबदारी है, अब क्या भाषा बता रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप एक बार सुन लीजिए ना । मैं पुन: इसलिए कहना चाहता हूँ कि प्रश्नकाल में सत्तापार्टी के सदस्य खड़े होकर और प्रश्नकाल को व्यवधानित करे । मैं प्रश्नकाल के तुरन्त बाद मैं जानबूझकर उठाना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति पैदा हुई है..।

अध्यक्ष महोदय :- आप इसको दो मिनट क्यों नहीं सुन सकते भई ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रश्नकाल के तुरंत बाद इसलिए उठाना चाहता हूँ कि प्रश्नकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है । प्रश्नकाल के संदर्भ में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- दो मिनट बाद उठा लीजिए । मैं आपको सुनूंगा ना ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप एक मिनट सुन लें, क्योंकि यह प्रश्नकाल से संबंधित मामला है ।

<u>सदन की सूचना</u>

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता, दादा बने हैं, उनके पुत्र को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है । बधाई । (मेजों की थपथपाहट)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलो, हम भी बधाई दे देते हैं, दादा बनने के लिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रश्न में पूछना चाहता था, अभी बोल देता हूँ ।

श्री रविन्द्र चौबे :- दादा बने हैं, उसमें भी प्रश्न है यार ? अब तो बैठो भईया । (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रधानमंत्री आवास नहीं देने के कारण आपने इस्तीफा दिया था तो आप नियमितीकरण नहीं करने के कारण इस्तीफा देंगे क्या ? बताईये ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 (1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022) पटल पर रखता हूँ ।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021)

सहकारिता मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 (01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021) पटल पर रखता हूँ ।

समय :
12.04 बजे

कार्यमंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023 में लिये गये निर्णय अनुसार विधायी कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारण करने की सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

विधि विषयक कार्य	**निर्धारित समय**
(1) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022	1 घंटा
(2) छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022	15 मिनट

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि-सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पृच्छा

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लगातार छत्तीसगढ़ की जनता की बात इस पवित्र सदन में रखते हैं। आज छत्तीसगढ़ में लगातार जो स्थिति बन रही है कि छत्तीसगढ़ में नियुक्तियां....।

अध्यक्ष महोदय :- यह व्यवस्था से बड़ी व्यवस्था है क्या? जब व्यवस्था का प्रश्न आ जाता है, तो मुझे व्यवस्था का प्रश्न सुनना पड़ेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह कहना है कि व्यवस्था के संबंध में आज प्रश्नकाल में जो स्थिति पैदा हुई, मैं उससे संबंधित व्यवस्था चाहता हूं। यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, मगर अभी तक जितने भी सदन मैंने देखे हैं, उसमें सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि मैं इस धारा के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मैं सामान्य रूप से सब सुन रहा हूं, मगर जो नियम, कानून, प्रकिया है, उसके अनुसार यह कहें कि मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, मुझे इसमें आपत्ति है। आप लोग उसमें संशोधन कर लीजिए। मैं केवल आप ही को नहीं कह रहा हूं, बल्कि सबको सुना रहा हूं। अगली बार से व्यवस्था का प्रश्न रखते समय यह करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता देता हूं कि व्यवस्था के प्रश्न से संबंधित हमारे विधान सभा के नियमों में एक ही धारा है कि सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है और अध्यक्ष उसे प्राथमिकता के आधार पर सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इतने सालों का आपका experience है। आपके अनुभव का नए सदस्य लाभ लें, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं आपको आपत्ति नहीं कर रहा हूं। ये लोग आपको देखकर सीखेंगे, इसलिए बोल रहा हूं, और कुछ नहीं बोल रहा हूं। ये लोग आपको देखकर सीखेंगे, इसलिए आप इन्हें सिखाइये, यह कह रहा हूं और आप व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष महोदय, सब लोग बृजमोहन अग्रवाल जी का सम्मान करते हैं, लेकिन यह सबको धक्का देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- ये एक्साइज़ मिनिस्टर हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप देख तो लें कि एक्साइज़ का असर थोड़ी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का प्रश्न ये है कि प्रश्नकाल में सत्तापक्ष जिस प्रकार से प्रश्नों में व्यवधान करता है, क्या यह उचित है? आपके द्वारा एक स्थायी व्यवस्था दी जानी चाहिए कि कम से कम प्रश्नकाल में सत्तापक्ष के सदस्य व्यवधान उपस्थित न करें। इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आज आप इस बात की व्यवस्था करते, तो मुझे लगता है कि आज 10 प्रश्नों तक पहुंच सकते थे, परंतु सत्तापक्ष ने ही व्यवधान उपस्थित किया। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के जो प्रश्न होंगे, वे सरकार के विरोध में ही होंगे और सरकार के विरोध में जब हम प्रश्न करते हैं, तो हमें बोलने से रोकना संसदीय परंपराओं के विरूद्ध है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इसके बारे में आपकी व्यवस्था आनी चाहिए और ऐसा नहीं हो, इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसी मुद्दे पर हमें भी अनुमति दी जाए, हम लोग भी बात करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हो गए हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य माननीय बृजमोहन जी ने जो बातें कहीं, उस पर मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की एक ऊंचाई है। यहां की परंपराएं, यहां के नियमों की नज़ीरें पूरे देश की विधान सभाओं में दी जाती हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आप जैसा अनुभवी व्यक्ति आसंदी पर विराजमान है और जब सदन का संचालन होता है, तो उस समय प्रश्नकाल जैसे अति महत्वपूर्ण काल में जो कि इस सदन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, उस पर सत्ता पक्ष के लोग सुनियोजित ढंग से यहां पर व्यवधान पैदा करें, यह उचित नहीं है। इस पर आसंदी की व्यवस्था आनी चाहिए, यह हमारा आग्रह है।

(श्री अजय चन्द्राकर सदस्य द्वारा बोलने हेतु हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप भी बोलिए।

श्री बृहस्पत सिंह:- अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि मैं व्यवस्था के संबंध में दो शब्द कहना चाहूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- भैय्या, मुझे अनुमति मिली है। आप अनुमति ले लीजिए, फिर बोलिए।

श्री बृहस्पत सिंह:- ठीक है, आप ही बोल लें।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मान में बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये लोग प्रश्नकाल को तो डिस्टर्ब करते ही हैं, साथ ही आसंदी को निर्देश भी देते हैं एवं आसंदी के लिए असम्मानजनक शब्दों का उपयोग भी करते हैं और इसको सत्तारूढ़ दल के कुछ मंत्रियों का भी संरक्षण प्राप्त है। वे लोग भी असंसदीय टिप्पणी करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस विषय पर इस विधान सभा में कोई स्थायी निर्देश आपकी व्यवस्था में शामिल हो।

समय :
12.10 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- चन्द्राकर जी, "जिनके घर शीशे के होते हैं, वह लाईट जलाकर कपड़े नहीं बदला करते।" (हंसी) आप वही काम कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, 31 दिसम्बर, 2022 को नारायणपुर जिले के एडका थाने के गोर्रा गांव में ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था के प्रश्न में तो व्यवस्था आ जाने दीजिए।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय सभापति जी, आज पूरे देश-प्रदेश में जो स्थिति निर्मित हुई है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। उनको कम-से-कम बैठाईये। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में आरक्षण विधेयक पास हो गया है। उसके बाद भी ... (व्यवधान)।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, पूरा राज्य, पूरा छत्तीसगढ़ ... (व्यवधान)। पूरे छत्तीसगढ़ की .. आरक्षण का मामला सबसे गंभीर है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय ...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप बोलिए, आप बोलिए। (व्यवधान)

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति महोदय, यह भाजपा की चाल है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- व्यवस्था के प्रश्न में तो व्यवस्था आने दीजिए। (व्यवधान)। कोई व्यवस्था नहीं आई है। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- थोड़ा-सा शांत हो जाईये। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति महोदय, इसाई समुदाय के लोग धर्मांतरण ... (व्यवधान)। आदिवासी समाज के लोगों पर, घरों पर हमला किया गया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जाए। आपको बोलने की अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- गोर्रा गांव में आदिवासियों को घर से निकालकर मारा गया। जिसके विरोध में 01 जनवरी को ग्राम गोर्रा में आदिवासी समाज की बैठक चल रही थी। आदिवासी समाज की बैठक में लगभग 3 सौ (व्यवधान) धर्मांतरित इसाइयों ने हमला किया, लोगों के घर में तोड़फोड़ की...। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- इन आरक्षण विरोधियों ने आरक्षण को सर्वसम्मति से पारित किया। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- आप लोग बैठ जाईये। कृपया बैठ जाईये। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- सभापति महोदय, यह आरक्षण के हत्यारे हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- कृपया बैठ जाएं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, नारायणपुर में इतनी बड़ी घटना हुई है। वहां पर आदिवासियों ... (व्यवधान)।

सभापति महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.13 से 12.37 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :
12.37 बजे

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, पूरा बस्तर जल रहा है। (व्यवधान) हम लोगों ने इसमें स्थगन दिया है। (व्यवधान) पूरा बस्तर जल रहा है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय,..... (व्यवधान)।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आएं)

समय :
12.37 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलम्बन</u>

सभापति महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं :-

भारतीय जनता पार्टी

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. डॉ. रमन सिंह
03. श्री बृजमोहन अग्रवाल
04. श्री पुन्नूलाल मोहले
05. श्री अजय चन्द्राकर
06. श्री नारायण चंदेल
07. श्री शिवरतन शर्मा
08. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
09. श्री सौरभ सिंह
10. श्री डमरूधर पुजारी
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(12.40 से 12.48 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.48 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

निलंबन समाप्ति की घोषणा

सभापति महोदय :- मैं गर्भगृह में आने वाले सदस्यों का निलंबन समाप्त करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 जनवरी, 2023 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(दोपहर 12 बजकर 49 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 4 जनवरी, 2023 (पौष 14, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 03 जनवरी, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं